नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

निबंधित कार्यालय विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

संकल्प संख्या– 1320 / दिनांक 20.8.14 /

N-I/PF/AEE-2133/10

श्री दुर्गानन्द झा, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बारसोइ सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत केन्द्रीय भंडार, छपरा के विरूद्ध दिनांक 31.01.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष, पूर्णियां में प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की पूर्व सूचना प्राप्त रहने के उपरांत भी काफी विलम्ब से बैठक में भाग लेने एवं सवालों का जबाब गंभीरतापूर्वक नहीं देने, कर्तव्य में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता एवं कदाचार के आरोपों पर कार्यालय आदेश संख्या 318 दिनांक 31.01.2013 द्वारा निलंबित किया गया।

श्री झा को कम्पनी के कार्यालय आदेश संख्या 954 दिनांक 13.03.14 द्वारा उनके विरूद्ध प्रारम्भ की जानेवाली विभागीय कार्यवाही पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तत्क्षण प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया गया।

श्री झा के विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों पर संकल्प संख्या 639 दिनांक 24.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके संचालन हेतु श्री डी0 एन0 तिवारी, मुख्य अभियंता (योजना), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के उपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि, श्री झा को बार–बार लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु निदेशित करने के उपरांत भी श्री झा द्वारा लिखित ब्यान समर्पित नहीं किया गया। उक्त आधार पर जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री झा के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित माना गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी एवं जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए संकल्प सं0 915 दिनांक 03.06.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया गया।

द्वितीय कारण पृच्छा श्री झा को विधिवत रूप से दिनांक 01.07.14 को हस्तगत कराया गया, पुनः दिनांक 05.08.2014 को मुख्यालय बुलाकर, श्री झा को द्वितीय कारण पृच्छा की प्रति हस्तगत करायी गयी एवं उत्तर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, किन्तु इसके उपरांत भी श्री झा द्वारा अपना जबाब समर्पित नहीं किया गया। इससे यह परिलक्षित होता है कि द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब में उन्हें कुछ नहीं कहना है एवं उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गए आरोप उन्हें स्वीकार है।

श्री झा के विरूद्ध प्रमाणित पाए गए आरोपों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा उन्हें निम्नलिखित दण्ड प्रदान करने का निर्णय लिया गया:–

1. दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
2. निलम्बन अवधि में श्री झा को जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु उक्त अवधि की गणना सेवोत्तर लाभ की स्वीकृति हेतु की जाएगी।

तदनुसार, श्री झा को निम्नलिखित दण्ड प्रदान किया जाता है:–

1. दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।